Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

Knowledgeable Research
ISSN 2583-6633
Vol.02, No.06, January,2024
http://knowledgeableresearch.com/

भारत के परिप्रेक्ष्य में बालश्रम

डॉ0भावना लाल
विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग
राम कृष्ण महाविद्यालय रानूखेड़ा फर्रूखावाद

Email: bhawanalal085@gmail.com

****

शोध संदर्भ : –

बालश्रम एक तरफ समाज के चारो तरफ विकास एवं स्वस्थ्य स्पर्धा को बाधित करके, गरीब लोगों को बेरोजगारी अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बीमारियॉ व सामाजिक–आर्थिक विषमता को बढ़ावा देती है। तो दूसरी तरह साथ ही मानवाधिकारों, बाल अधिकारों तथा मानवीय गरिमा को भी नष्ट करती है। ूनीसेफ द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में सिर्फ भारत के शहरों में 1 करोड़ 80 लाख बच्चे सडंक पर रहकर काम कर रहे है। इनमें से अधिकांश ने कभी स्कूल की शक्ल तक देखी नही। कोलकाता के स्लम के अध्ययन में पाया गया है स्कूल जाने वाली आयु के 84 प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर है। जिनमें 49 प्रतिशत बच्चे बाल श्रमिक है। पूरी संख्या पर नजर डाले तो खतरनाक और गौर खतरनाक उद्यमों में 6 करोड़ से अधिक बाल श्रमिक होने का अनुमान है। दूसरी तरफ घरों की बंद चारदीवारी में भी लाखों लडके और लडकियॉ घरेलू मजदूर की तरह काम कर रहे है। सामाजिक सरकारों की कमी के चलते इनकी संख्या में निरन्तर बढोत्तरी होती जा रही है। बाल मजदूरों की दयनीय स्थिति में कई कारण सहायक है उद्योग जगत एक तो इनके मामलों में कानून बचाव के हर तरीके जानता है और वह यह भी समझता है कि बच्चे का शरीर इतना लाचार होता है कि किसी भी स्थिति में काम करना आसान है फिर अनुमान होने का खतरा भी मौजूद नही होता। कम मजदूरी और अधिक काम के लिये बच्चों से उपयुक्त और भला कौन हो सकता है।

Keywords: *जरदोजी उद्योग कार्यरत बाल श्रमिक*

Author Name: डॉ0भावना लाल
Received Date: 14/01/2024
Publication Date:29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

****

भारत में 30 करोड़ बंधुआ श्रमिक है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization) के प्रतिवेदन में उक्त 30 करोड़ असंगठित श्रमिकों की अमानवीय दुर्दशा को 'एक दूसरा भारत काम पर' (The Other India at Work) की संज्ञा दी गई है। सटीक तो यह रहता कि *Other India that work* कहा जाता। आर्थिक उदारीकरण के चलते इनकी स्थिति पराधीन भारत के गिरमिटियों से बेहतर नहीं कही जा सकती है। भारत सरकार इन 30 करोड़ पशुवत जीवन जी रहे लोगों के संदर्भ में कुछ भी नही सोच पा रही है।

भारत में वर्तमान में 6 करोड़ से अधिक बाल श्रमिक है जिनकी उम्र 5 वर्ष से 19 वर्ष के मध्य की है। कुछ विशेषज्ञों की राय में बाल श्रमिकों की वास्तविक संख्या इन आंकड़ों से काफी अधिक है ये बाल श्रमि हथकरघा, होटल**,** रेस्टोरेंट साईकिल–मोटर मरम्मत, मछली पालन जूता पालिश **,**जरदोजी उद्योग तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक उद्योग धंधों में लगे हुये है। मध्य प्रदेश के बीड़ी उद्योग **,**झारखण्ड तथा पश्चिमी बंगाल की कोयला **,**खदानों तामिलनाडु में दियासलाई व आतिशबाजी उद्योग, कश्मीर के गलीचे उद्योग**,** असम के चाय बागान **,**मेघालय के खाने, मिर्जापुर भदोही के कालीन उद्योग, फिरोजाबाद में चूडी उद्योग, फर्रूखाबाद में जरदोजी उद्योग तथा दिल्ली की विभिन्न लघु उद्योग इकाइयों में बड़ी संख्या में बालश्रमिक अत्यन्त दयनीय परिस्थितियों में कार्यरत है। जो उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

श्रम मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के हर तीसरे परिवारे में एक बालश्रमिक है तथा पांच से पन्द्रह आयु का प्रत्येक चौथा बालक श्रमिक है। कई स्थानों पर स्थिती इतनी भयानक है कि वहॉ ंस्थित कुछ कारखानों में 90 प्रतिशत बाल मजदूर है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालश्रमिक बड़ी संख्या में तथा वे कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य लघु उद्योगों में कार्यरत है। ग्रामीण क्षेत्र में बढ रही बेरोजगारी से प्रभावित तथा शहरों की चमक दमक भरी जिन्दगी से आकर्षित होकर ग्रामीण क्षेत्रों में बाल मजदूरों का प्रभाव शहरी क्षेत्रों की ओर तेजी से बढ़ा रही है। इस प्रकार के बाल श्रमिकों में तो कुछ तो परिवार की सहमति पर आते है और कुछ घर छोड़कर चले जाते। इस प्रकार के बालश्रमिक तो घर छोड़कर भाग आते है। अधिकांश असामाजिक तत्वो के हाथों में पड़ जाते है तथा ये बच्चे अनेक गैरकानूनी तथा अपराधिक गतिविधियों से लिप्त होकर समाज के लिये अभिशाप बन जाते है।

Author Name: डॉ0भावना लाल
Received Date: 14/01/2024
Publication Date:29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

बाल श्रम का प्रारम्भ तब से माना जाता है जब से विश्व में औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप नवीन उद्योगों की स्थापना प्रारम्भ हुई। पूंजी वर्ग द्वारा अपना मुनाफा बढ़ाने के उद्देश्य से श्रमिकों के बच्चों को भी अपने कल–कारखाने में मजदूरी पर रखना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार के बाल श्रमिकों से नियोजकों को काफी लाभ हुआ है। जिसका एक प्रमुख कारण इन बाल श्रमिकों का सस्ता होना है। साथ ही बाल श्रमिकें के श्रम के महत्व तथा श्रम कानूनों की कोई जानकारी न होने के कारण वे सदैव अपने मालिकों के साथ कठोर नियन्त्रण में रहते है। बाल श्रमिकां के साथ किसी भी प्रकार की हड़ताल यूनियनबाजी का कोई खतरा नही होता है। इसप्रकार कम वेतन पर अधिक समय तक ज्यादा काम लेने के कारण अनेक नियोजक बालश्रमिकों को अपने यहॉ प्राथमिकता देते है। लेकिन उनके इस आर्थिक लाभी की कितनी बड़ी सामाजिक कीमत देश तथा समाज को चुकानी पड़ती है। इसका आंकलन करना आसान नही है।

इस प्रकार से भारत में बाल श्रमिकां की व्यथा बेहद व्यथित करने वाली है। सामंती मानसिकता वालों के दिमाग से यह बात अभी गई नही है तथा इसी के चलते वे घरों में घरेलू नौकरों के तौर पर कार्य कर रहे बच्चों का शोषण व उत्पीड़न कर रहे है। इन घरेलू बाल श्रमिकों की मानसिक, दैहिक तथा मौन शोषण भी किया जाता है। वास्तविकता में यह बालश्रम मानवीय शोषण का सबसे घिनौना तथा विभत्स रूप है। कई मामलों में तो यह प्रथा गुलामी तथा दासता के काफी निकट है। भारत के उच्च तथा मध्यम परिवारों में यह प्रथा व्यापक रूप में प्रचलित है तथा वर्तमान में यह निम्न वर्ग में भी तीव्रता से पैर पसार रही है। इस वर्ग द्वारा घरेलू नौकरों को बेहद वेतनत तथा अस्थाई तौर पर रखा जाता है।

बच्चों को भगवान का स्वरूप तथा देश का भविष्य मानने वाली अवधारणा के मध्य बालश्रम का समाज में बडे पैमाने पर प्रचलन एक गम्भीर विराधोवास है जिस पर समाज–शास्त्रीयों, बुद्धजीवियों, गैर–सरकारी संगठनों, स्वयसेवी संस्थाओं, सरकार को व्यापक तौर पर गम्भीर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। जिससे इस सामाजिक अभिशाप को दूर किया जा सके।

Author Name: डॉ0भावना लाल
Received Date: 14/01/2024
Publication Date:29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024

An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

भारत के प्रमुख राज्यों में बाल श्रम की सघनता

क्र0सं0	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1971	1981	1991	2001
1.	आंध्र प्रदेश	1627492	1951312	1661940	1363339
2.	असम	239349	**	32759	351416
3.	बिहार	1059359	1101764	942245	1117500
4.	छत्तीसगढ़	—	—	—	364572
5.	गुजरात	518061	616913	523585	485530
6.	हरियाणा	137826	194189	109691	253491
7.	हिमाचल प्रदेश	71384	99624	56438	107774
8.	जम्मू और कश्मीर	70489	258437	**	175630
9.	झारखंड	—	—	—	407200
10.	कर्नाटक	808719	1131530	976247	822615
11.	केरल	111801	92854	34800	26156
12.	मध्य प्रदेश	1112319	1698597	1352563	1065259
13.	महाराष्ट्र	988357	1557756	1068418	764075
14.	मणिपुर	16380	20217	16493	**
15.	मेघालय	30440	44916	34633	53940
16.	नागालैण्ड	13726	16235	16467	**
17.	उड़ीसा	492477	702293	452394	377594
18.	पंजाब	232774	216939	142858	177268
19.	राजस्थान	587389	819605	774199	1262570
20.	सिक्किम	15661	8561	5598	16457
21.	तमिलनाडु	713305	975055	578889	418801
22.	त्रिपुरा	17490	24204	16478	21576
23.	उत्तर प्रदेश	1326726	1434675	1410086	1927997
24.	उत्तरांचल	—	—	—	70183
25.	पश्चिमी बंगाल	511443	605263	711691	857087
26.	अंडमान एवं निकोबार द्विप समूह	572	1309	1265	1960
27.	अरूणाचल प्रदेश	17925	17950	12395	18482
28.	चंडीगढ़	1086	1986	1870	3779
29.	दिल्ली	17120	25717	27351	41899
30.	दमन एवं द्विप	7391	9378	941	729
31.	गोवा	—	—	4656	4138
32.	लक्षद्वीप	97	56	34	27
33.	मिजोरम	***	6314	16411	26265
34.	पांडिचेरी	3725	3606	2680	1904
	योग	**10753985**	**13640870**	**11285349**	**12666377**

टिप्पणी : ** जनगणना नहीं की जा सकी।

Author Name: डॉ0भावना लाल

Received Date: 14/01/2024
Publication Date:29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

*** 1971 की जनगणना आंकड़ों में मिजोरम के आंकड़े असम प्रदेश के अन्तर्गत दिखाए गए हैं। 1991 एवं 2001 के आंकड़े 5 से 14 आयु वर्ग के बाल श्रमिकों से संबंधित है।

भारत में भी बालश्रम की प्रथा यों तो काफी अरसे से चली आ रही है। जिसे कम करने के लिए निरन्तर प्रयास भी किए जा रहे हैं लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से विशेष रूप से बच्चों को संरक्षण देने और उन्हें राष्ट्र निधि के रूप में पल्लवित होने के लिये और उनके अधिकारों की रक्षा के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु अनेक प्रयास किये गये।

(1.3) जरदोजी उद्योग और बालश्रम : –

बालश्रम एक ऐसी समस्या है जिसका सामना सम्पूर्ण विश्व कर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनके आंकडों के अनुसार विश्व के दस करोड़ बच्चों को अपनी आजीविका के लिये मजदूरी करनी पड रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय श्रंम संगठन के अनुसार विश्व के कुल बालश्रमिकों की संख्या का 50 प्रतिशत बालश्रमिका भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, एवं श्रीलंका में है। सितम्बर 1994 में प्रकाशित संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार्यरत बालश्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। 1983 में किये गये एक अनुसंधान के अनुसार भारत में 1.74 करोड़ कार्यरत बच्चे थे। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में एक अनुसंधान द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 4.40 करोड़ संख्या बतलाई।

भारत में बालश्रमिकों की संख्या में बढोत्तरी जारी है। उसका कारण गरीबी और अज्ञानता है। बिहार से प्रतिवर्ष लगभग 25000 बाल मजदूर दूसरे राज्यों को भेजे जाते है। 2001 की जनगणना के अनुसार अकेले दिल्ली में ही बिहार के लगभग 50,000 बाल मजदूर कार्य कर रहे है। बाल श्रमिकों को संख्या वीमारू राज्यों में सबसे अधिक है। भारत में कुल बाल श्रमिकों का 30 प्रतिशत खेतिहर मजदूर है तथा 30 से 35 प्रतिशत तक कल–कारखानों में कार्यरत है। शेष भाग पत्थर खादानों, चायों बागानों, जरदोजी, कुटीर उद्योग, दुकानों एवं घेरलू कार्यो में अभिशप्त जीवन जीने के लिये विवश है।

बाल श्रमिकों को व्यवसाय के आधार पर निम्न भागों में बांटा जा सकता है –

1. कृषि
2. निर्माण एवं व्यापार

Author Name: डॉ0भावना लाल
Received Date: 14/01/2024
Publication Date:29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

3. जरदोजी उद्योग

4. घरेलू एवं वैक्तिक सेवा

बाल श्रमिक सबसे ज्यादा संख्या में असंगठित उद्योगों और वर्कशापों में पाये जाते है। जहॉ ज्यादा से ज्यादा बच्चे कार्य करते है। ऐसे अनेक उद्योग विभिन्न राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों मे संकेन्द्रित है।

सारणी क्रमांक 1.3–1

बालश्रम से सम्बन्धित उद्योग और स्थान		
क्र0	उद्योग	सम्बन्धित स्थान
1	कॉच का सामान	कलकत्ता, मुम्बई, अम्बाल, नैनी, जवलपुर, फिरोजाबाद, दिल्ली, शिकोहाबाद, धौलपुर, बड़ोदरा।
2	दियासलाई उद्योग	बरेली, अहमदाबाद, कलकत्ता, मुम्बई, श्रीनगर, धुवरी, बंग्लौर, मदुरै, कोयम्बटूर, कालिक्कोड, कोल्हापुर, कोटा, नागपुर, शिवाकाशी।
3	बीडी उद्योग	बम्बई, कलकत्ता, जवलपुर, कन्नौज, फर्रूखाबाद।
4	जरदोजी उद्योग	फर्रूखाबद, शाहजहॉपुर, बरेली, कन्नौज, एटा,मैनपुरी।

सारणी क्रमांक 1.1 को देखने से स्पष्ट होता है कि बालश्रमिकों से सम्बन्धित उद्योगों का संकेन्द्रण बड़े शहरों में है। लेकिन इन शहरों के पास के क्षेत्र में उद्योगों के विस्तृत होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे यहॉ कार्य करने के लिये आ जाते है। जरदोजी उद्योग भी मुख्य रूप से फर्रूखाबाद में संकेन्द्रित है। लेकिन इसके लगभग सभी विकासखण्डों में इसका कार्य छोटी–छोटी इकाइयों के रूप में हो रहा है। जिसमें बालश्रम की संख्या लगभग 45 प्रतिशत है।

सारणी क्रमांक 1.2 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि भारत में बाल श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जरदोजी में कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या में न्यूनता आई है। 0.से 9 वर्ष के आयु समूह की जनगणना दशक 1981 में जरदोजी में कार्यरत बालश्रमिकों की संख्या का प्रतिशत 0.39 था जो ि1991 में बढकर 0.57 प्रतिशत तथा 2001 में घटकर 0.47 प्रतिशत (5.35 लाख) रह गया।

Author Name: डॉ0भावना लाल
Received Date: 14/01/2024
Publication Date:29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

9 से 14 वर्ष के आयु समूह में वर्ष 1981 में जो 0.46 प्रतिशत बाल श्रमिक थे। यह बढकर 1991 में 0.50 प्रतिशत तथा 2001 में घटकर 0.37 प्रतिशत रह गया।

सारणी क्रमांक 1.3–2

भारत : बालश्रम और जरदोजी उद्योग						
जनगणना	**0–9 वर्ष आयु समूह**			**9–14 वर्ष आयु समूह**		
दशक	कुल संख्या करोड़ में	जरदोजी कार्यरत लाखा में	प्रतिशत में	कुल संख्या करोड़ में	जरदोजी कार्यरत लाखों में	प्रतिशत में
1981	08.30	3.19	0.39	08.60	3.94	0.46
1991	11.00	6.28	0.57	09.50	4.72	0.50
2001	11.40	5.35	0.47	10.80	3.95	0.37

REFERENCE

1-Mapping India's Children UNICEF in Action., UNICEF,73, Lodi Estate, New Delhi,

2-I.L.O., International Labor Organization, Office,, Lodi Estate, New Delhi,

3-कुरूक्षेत्र, मई 2002,निर्माण विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय,नई दिल्ली।

4.कुरूक्षेत्र, नवम्बर 2003,निर्माण विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय,नई दिल्ली।

5–कुरूक्षेत्र, मई 2006,निर्माण विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय,नई दिल्ली।

Author Name: डॉ0भावना लाल
Received Date: 14/01/2024
Publication Date:29/01/2024